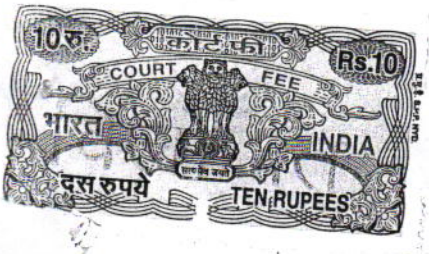

161

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

क्रमांक रिव्यु 5151 - II / 14

श्री रजनी बहादुर शर्मा 2785 वकील
10-12-14 को

10-12-14

छिमादर पुत्र श्री किसना

निवासी बन्ने बुजुर्ग तहसील पलेरा

जिला – टीकमगढ म0प्र0

––– आवेदक

विरूद्ध

1– नथुआ पुत्र किसना

2–बृजलाल पुत्र किसना

3– रमोला पुत्र हल्के

4– दसवा पुत्र हलके काछी

5– विलउ पुत्र मोहन काछी

सभी निवासीगण बन्ने बुजुर्ग

तहसील पलेरा जिला टीकमगढ

–– अनावेदकगण

पुर्नविलोकन हेतु आवेदन– पत्र म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत विरूद्ध आदेश दिनांक 12–6–14 पारित द्वारा माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक निग0 259––दो / 2005 से परिवेदित होकर प्रस्तुत किया जा रहा है ।

श्रीमान महोदय,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

x(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 4141–दो/2014 जिला टीकमगढ़

दिनांक तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
24-6-16	यह पुनरावलोकन आवेदन तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 259–।।/ 2005 में पारित आदेश दिनांक 12–6–2014 पर से म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है। 2/ प्रकरण आवेदन में अंकित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण को बार–बार सूचना पत्र भेजे जाने तथा पंजीकृत डाक से सूचना भेजने के बाद भी अनुपस्थित रहे हैं। उनके विरूद्ध एकपक्षीय है। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों एंव आदेश दिनॉक 12–6–14 में विचार से ओझल हुये तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कराते हुये मॉग की कि जो भूमि आवेदक की स्वअर्जित है एंव परिजनों ने घरेलू बटवारे में आवेदक के हित में छोड़ी थी, फर्द पर आवेदक की सहमति लिये बिना तहसीलदार ने बटवारा किया है और यही तथ्य आदेश दिनॉक 12–6–14 में विचार में लेने से छूट गया है इसलिये पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जावे। 4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करते हुये तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 259–।।/ 2005 में पारित आदेश दि.	

12–6–2014 के अवलोकन पर पाया गया कि आदेश के पृष्ठ 3 के पद (2) में इस प्रकार विवेचना की है :–

" अनावेदकगण के अभिभाषक के अनुसार जिस भूमि को आवेदक स्वयं व्दारा कय की गई भूमि बताता है , संयुक्त परिवार व्दारा धारित है और यदि वह कय की गई भूमि संयुक्त के परिवार के बजाय स्वयं के स्वत्व की होना बताता है तो स्वत्व का वाद विषय सक्षम न्यायालय से निर्णीत कराने हेतु स्वतंत्र है। तहसीलदार न्यायालय के प्रकरण में पृष्ठ–55 पर पटवारी हलका बन्ने बुजुर्ग व्दारा प्रस्तुत प्रतिवेदन दिनांक 16–3–2000 की मूल प्रति संलग्न है जिसका अंश उद्धरण इस प्रकार है –

> फर्द स्वीकृति वावत् प्रतिवेदन – भूमि का बटवारा पंचों के साथ मौके पर जाकर किया गया तथा मौके पर बटवारा फर्द तैयार की गई जो प्रथक से प्रतिवेदन में संलग्न की गई है ।

आगे विवेचित किया है कि फर्द बनाने एंव प्रकाशन के सम्बन्ध में ग्रामीणों का पंचनामा तहसील के प्रकरण में पृष्ठ 67 पर संलग्न है जिस पर ग्रामवासियों के हस्ताक्षर के साथ सरपंच ग्राम पंचायत बन्ने बुजुर्ग के उप सरपंच के मय पदमुद्रा के हस्ताक्षर है।

उपरोक्त सम्बन्ध में विचार करने पर स्थिति यह है कि जब आवेदक खाता कमांक 185 की भूमि सर्वे कमांक 4 रकबा 3 हैक्टर जर्य पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 28–10–1967 से स्वयं के नाम से प्रथक कय करना बता रहा है एंव शासकीय अभिलेख इस में सर्वे नंबर की भूमि में सहखातेदार नहीं है तथा यह भी आपत्ति कर रहा है कि घरेलू बटवारे में उक्त भूमि आवेदक के हित में छोड़ी गई है, तब तहसीलदार व्दारा अथवा अन्य अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा पारित आदेशों में इस तथ्य पर विचार न करना एंव इस आपत्ति का स्पष्ट निराकरण करना दोषपूर्ण आदेश पारित करना है । इसी

XXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 4141–दो/2014 जिला टीकमगढ़

क्रमांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर

प्रकार तत्कालीन सदस्य राजस्व मण्डल से भी आदेश दिनांक 12–6–2014 पारित करते समय यह तथ्य विचार में न लेने की भूल हुई है कि भूमि संयुक्त के परिवार के बजाय स्वयं के स्वत्व की होना बताने पर वह स्वत्व का वाद विषय सक्षम न्यायालय से निर्णीत कराने हेतु स्वतंत्र है, किन्तु तत्का. सदस्य राजस्व मण्डल एंव अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेश पारित करते समय यह विचार नहीं किया गया कि जब आवेदक पूर्व के घरेलू बटवारे अनुसार कय की गई भूमि उसकी होने एंव अन्य सहखातेदार अभिलेख में अंकित न होना बता रहा है इस पर विचार नहीं किया गया है।

1. भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0)–धारा–178– निजी ठहराव या व्यवस्था के अधीन आवेदन के पूर्व प्राईवेट बटवारा होकर अपने अपने हिस्सों पर आवेदकगण काविज–तब बरावरी के हिस्से की कार्यवाही की मांग व्यर्थ है। (रघुनाथ बनाम दिलीप 1970 रा.नि. 596 से अनुसरित)
2. भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0)–धारा–178– कतिपय भूमि संयुक्त परिवार के सदस्य के नाम कय होकर राजस्व अभिलेख में दर्ज है ऐसी भूमि संयुक्त परिवार की आय से अर्जित भूमि नहीं मानी जावेगी, जब तक कि संयुक्त परिवार की आय से कय किया जाना स्थापित न किया जाय। अभिवक किये जाने वाले पक्ष पर प्रमाण का भार है।(धर्मदेव सिंह राजपूत वि. कबिन्द्रसिंह 2011 रा.नि. 90 से अनुसरित)
3. परिवार के एक सदस्य व्दारा स्वअर्जित संपत्ति धारण की जाने पर परिवार के सदस्यों के बीच उक्त संपत्ति का बटवारा नहीं किया जा सकता है।
   (ए.एक्त.अगुस्ताईन वि. ए.एक्स जोसेफ (206) 9 SCC 175 से अनुसरित)

इस प्रकार आवेदक व्दारा निजहित में कय की गई भूमि वावत् बटवारा कार्यवाही में स्वत्व प्रमाणित करने हेतु व्यवहार न्यायालय की शरण में जाने का निष्कर्ष निकालने में तत्कालीन सदस्य से हुई भूल प्रत्यक्षदर्शी भूल है क्योंकि बटवारा कार्यवाही में उक्त प्रकार की भूमि के विभाजन करने/ न करने पर विचार किये जाने में संहिता की धारा 178 में कोई रोक नहीं है।

5/ तत्का. सदस्य व्दारा विवेचित किया गया है कि पंचों के समक्ष फर्द तैयार हुई है जिस पर पंच,सरपंच,उप सरपंच के हस्ताक्षर हैं इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों ने एंव तत्का. सदस्य न फर्दो का प्रकाशन सही माना है और यही निष्कर्ष तत्सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालयों के हैं।

> भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0)–धारा–178– पटवारी व्दारा बटवारा फर्द प्रस्तुत – प्रत्येक पक्षकार के फर्द पर सहमति के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

परन्तु विचाराधीन प्रकरण में आवेदक के फर्द पर सहमति वावत् हस्ताक्षर न होना एंव पंच,सरपंच,उप सरपंच के हस्ताक्षर होने से फर्द का प्रकाशन सही होना मानने में तत्कालीन सदस्य से हुई भूल प्रत्यक्षदर्शी है इसी प्रकार इस बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालयों ने गौर न करने की त्रृटि की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाकर तत्का.सदस्य, राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 259–II/ 2005 में पारित आदेश दिनांक 12–6–2014 , अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक

XIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 4141–दो/2014 जिला टीकमगढ़

तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	37/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 24–1–05, अनुविभागीय अधिकारी जतारा व्दारा प्रकरण कमांक 120/99–2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 4–9–2000 एंव तहसीलदार पलेरा व्दारा प्रकरण कमांक 28/अ–27/98–99 में पारित आदेश दिनांक 8–5–2000 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार पलेरा की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उपरोक्त विवेचना में आये तथ्यों अनुसार हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये संहिता की धारा 178 में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।	
	सदस्य	